SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No107/18	Complaint or report madeon . 30-04-18
Name and address of the ComplainantPolice station	Malanpur
Name , parentage,caste and address of accused	
बंटी पुत्र कैलाश वाल्मीक उम्र 30 साल निवासी दौलतगंज ग्वालियर, हाल सरदार मंगे के ढावे के पास ग्राम तुकेंडा पैडा	E Co
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission	
आप पर आरोप है कि दिनांक 30.04.18 के पास बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 25	मुकाम मंगे के ढावा का पास ग्राम तुकेडा क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन विकय /परिवहन
हेतु रखी।	5 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	
क्या आपको उक्त अपराध	स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The plea of the accused and his ex	हस्ता. xamination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन अभियुक्त के हस्ताक्षर	है।

हस्ता

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 29.05.18 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये 1000/— शब्दों में एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर दस दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04. जप्तशुदा सम्पत्ति 25 क्वार्टर देशी शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

ALIHANA PRESIDENT TO THE PROPERTY OF THE PROPE

To A To